



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272584
CG-DL-E-15052026-272584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2385]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948

No. 2385]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2477(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146 (भोपाल (रत्नागिरी तिराहा) - विदिशा (मोरीकोड़ी) खण्ड) के कि.मी. 3.900 से कि.मी. 11.850 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील हजूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 146 (भोपाल (रत्नागिरी तिराहा) - विदिशा (मोरीकोड़ी) खण्ड) के कि.मी. 3.900 से कि.मी. 11.850 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: भोपाल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हुजूर					
गांव का नाम: कोलुआ खुर्द					
1	101/2/1	निजी	सिंचित	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
2	101/2/2	निजी	सिंचित	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
गांव का नाम: सागोनी कलां					
3	207/1	निजी	आवासीय	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
4	207/2/1/1	निजी	सिंचित	0.2237 (हेक्टेयर)	0.2237
5	207/2/2/1	निजी	सिंचित	0.1743 (हेक्टेयर)	0.1743
6	210/2/1	निजी	सिंचित	0.0026 (हेक्टेयर)	0.0026
7	216/2	निजी	आवासीय	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
8	219/2	निजी	सिंचित	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
9	221/2	निजी	सिंचित	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
गांव का नाम: बिलखिरिया					
10	176/1	निजी	सिंचित	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
11	176/2	निजी	सिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
गांव का नाम: पडरिया सांकल					
12	177/1	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
13	184/1/2	निजी	व्यवसायिक	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
गांव का नाम: छावनी पठार					

14	182	सरकारी	असिंचित	0.084 (हेक्टेयर)	0.084
15	185/1/1	निजी	सिंचित	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
16	185/2	निजी	आवासीय	0.0826 (हेक्टेयर)	0.0826
17	227/1	निजी	सिंचित	0.0848 (हेक्टेयर)	0.0848
18	228/1	निजी	सिंचित	0.0763 (हेक्टेयर)	0.0763
19	229/1	निजी	सिंचित	0.0857 (हेक्टेयर)	0.0857
20	230/1	निजी	सिंचित	0.1032 (हेक्टेयर)	0.1032
21	231	निजी	सिंचित	0.0299 (हेक्टेयर)	0.0299
22	232	निजी	सिंचित	0.0335 (हेक्टेयर)	0.0335
23	233	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
24	234	निजी	आवासीय	0.0413 (हेक्टेयर)	0.0413
25	265	निजी	व्यवसायिक	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
26	266	निजी	सिंचित	0.0099 (हेक्टेयर)	0.0099
27	267	निजी	सिंचित	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
28	268	निजी	सिंचित	0.0103 (हेक्टेयर)	0.0103
29	269	निजी	आवासीय	0.0589 (हेक्टेयर)	0.0589
30	273/1	निजी	सिंचित	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
31	273/2	निजी	औद्योगिक	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073
Total					1.5528

[फा. सं. NHAI/BPL;SAG/LA/41010/2020/3a/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2477(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 146 [Bhopal (Ratnagiri Tiraha) - Vidisha (Morikodi) section] in the stretch of land from Km. 3.900 to Km. 11.850 in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer (Revenue), Huzur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No. 146 [Bhopal (Ratnagiri Tiraha) - Vidisha (Morikodi) section] in the stretch of land from Km. 3.900 to Km. 11.850 in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: BHOPAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Huzur					
Village: Kolua Khurd					
1	101/2/1	Private	Irrigated	0.13 (Hectare)	0.13
2	101/2/2	Private	Irrigated	0.005 (Hectare)	0.005
Village: Sagoni Kalan					
3	207/1	Private	Residential	0.17 (Hectare)	0.17
4	207/2/1/1	Private	Irrigated	0.2237 (Hectare)	0.2237
5	207/2/2/1	Private	Irrigated	0.1743 (Hectare)	0.1743
6	210/2/1	Private	Irrigated	0.0026 (Hectare)	0.0026
7	216/2	Private	Residential	0.019 (Hectare)	0.019
8	219/2	Private	Irrigated	0.008 (Hectare)	0.008
9	221/2	Private	Irrigated	0.016 (Hectare)	0.016
Village: Bilkhiriya					
10	176/1	Private	Irrigated	0.007 (Hectare)	0.007
11	176/2	Private	Irrigated	0.003 (Hectare)	0.003
Village: Padariya Sankal					
12	177/1	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
13	184/1/2	Private	Commercial	0.017 (Hectare)	0.017
Village: Chawani Pathar					
14	182	Government	Non Irrigated	0.084 (Hectare)	0.084
15	185/1/1	Private	Irrigated	0.0253 (Hectare)	0.0253

16	185/2	Private	Residential	0.0826 (Hectare)	0.0826
17	227/1	Private	Irrigated	0.0848 (Hectare)	0.0848
18	228/1	Private	Irrigated	0.0763 (Hectare)	0.0763
19	229/1	Private	Irrigated	0.0857 (Hectare)	0.0857
20	230/1	Private	Irrigated	0.1032 (Hectare)	0.1032
21	231	Private	Irrigated	0.0299 (Hectare)	0.0299
22	232	Private	Irrigated	0.0335 (Hectare)	0.0335
23	233	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
24	234	Private	Residential	0.0413 (Hectare)	0.0413
25	265	Private	Commercial	0.0003 (Hectare)	0.0003
26	266	Private	Irrigated	0.0099 (Hectare)	0.0099
27	267	Private	Irrigated	0.0024 (Hectare)	0.0024
28	268	Private	Irrigated	0.0103 (Hectare)	0.0103
29	269	Private	Residential	0.0589 (Hectare)	0.0589
30	273/1	Private	Irrigated	0.0055 (Hectare)	0.0055
31	273/2	Private	Industrial	0.0073 (Hectare)	0.0073
Total					1.5528

[F. No. NHA1/BPL;SAG/LA/41010/2020/3a/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director